भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2401
बुधवार, 22 मार्च, 2023 (1 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

वंचित किसानों के लिए ऋण माफी का कार्यान्वयन

2401 श्री पी. विल्सनः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय तमिलनाडु सहित देश भर में वंचित किसानों के लिए ऋण माफी को लागू करने में सफल रहा है;

(ख) क्या मंत्रालय 29 जून, 2022 को पीएसीएस द्वारा की गई घोषणा के अनुसार संबद्ध सेवाओं के प्रावधान जैसे कि उर्वरकों, बीजों आदि जैसे आदान के प्रावधान को कार्यान्वित करने में सक्षम रहा है;

(ग) क्या मंत्रालय ने ऋण अनुदानों में विविधता लाने और तमिलनाडु सहित देश भर में संवितरित ऋण के पुनर्भुगतान पर नियंत्रण-संतुलन बनाए रखने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने दिनांक 29 जून, 2022 को 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से देश भर में 63,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS)/लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ (LAMPS)/किसान सेवा समितियों (FSS) के कंप्यूटरीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना को अनुमोदित किया है ।

इस परियाजना में सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है जिससे संवितरित ऋणों के पुनर्भुगतान पर नियंत्रण-संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी ।

पैक्स परियोजना के अंतर्गत कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर; पैक्स द्वारा उर्वरक, बीजों, आदि जैसी निविष्टियां प्रदान करने के साथ मॉडल उपविधियों में वर्णित सभी कार्यकलापों का भी समर्थन करेगी ।

सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां बनाई है जिससे पैक्स अपने कार्यों में विविधता लाकर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में परिवर्तित हो सके । इन आदर्श उपविधियों को दिनांक 05.01.2023 को तमिल नाडु राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पैक्स द्वारा उसे अपने संबंधित राज्य सहकारी अधिनियम के अध्यधीन अपनाने हेतु परिचालित कर दिया गया है । ये आदर्श उपविधियां पैक्स को उर्वरक, बीजों, इत्यादि संबंधी आर्थिक कार्यकलाप सहित डेयरी, मात्स्यिकी, खाद्यान्न भंडारण, एलपीजी/सीएनजी/ पेट्रोल/डीज़ल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कॉमन सेवा केन्द्र, उचित मूल्य की दुकान (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यावसायिक अभिकर्ता कार्य आदि जैसे 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करेंगे ।

तथापि, तमिल नाडु राज्य सहित देश भर के वंचित किसानों की ऋण माफी सहकारिता मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है ।

****